

// कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी अम्बिकापुर, सरगुजा, छ.ग. //

:: आदेश ::



अम्बिकापुर, दिनांक 26.08.2011.
क्रमांक // 1952/वाचक-01/2011 :: कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल श्रम परियोजना समिति अम्बिकापुर जिला सरगुजा के आदेश पृ.क्र. 118/जि.बा.श्र.परि./2011 दिनांक 09.05.2011 के साथ संलग्न बंधुआ श्रमिक प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13 में निहित निर्देशों के तहत निम्नानुसार उप जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाता है।

1.	श्री तीर्थराज अग्रवाल, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अम्बिकापुर	अध्यक्ष
2.	श्री कुलदीप सिंह, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, अम्बिकापुर	सदस्य
3.	श्रीमती रामकुमारी, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, लखनपुर,	सदस्य
4.	श्री प्रदीप प्रेमी, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, लुण्ड्रा	सदस्य
5.	श्रीमती मीरा शुक्ला, डायरेक्टर, एम.एस.एस.वी.पी. सरगुजा।	सदस्य
6.	श्री रविन्द्र कुमार तिवारी, अम्बिकापुर	सदस्य
7.	श्री संजय सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अम्बिकापुर।	सदस्य
8.	श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, लखनपुर	सदस्य
9.	श्री एस.एस.रात्रे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत उदयपुर।	सदस्य
10.	श्री राजेश गुप्ता, श्रम उप निरीक्षक, अम्बिकापुर।	सदस्य
11.	श्री अवध बिहारी द्विवेदी, शाखा प्रबंधक, सरगुजा क्षेत्रीय प्राणीय बैंक, शाखा मेण्डाकला	सदस्य

समिति बंधुआ श्रमिक प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 में निहित निर्देशों के तहत निगरानी रखेगी तथा बंधुआ श्रमिक से संबंधित प्रकरण आए जाने पर प्रकरण तैयार कर निराकरण हेतु कलेक्टर सरगुजा को अध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करेगी।

अनुविभागीय अधिकारी
अम्बिकापुर
5-9-11

(तीर्थराज अग्रवाल)
अनुविभागीय अधिकारी
अम्बिकापुर